HOC/MSS/606/2021 23.09.2021

M/s.

Dear Sirs,

SUB: RENEWAL & SUPPORT FOR SYMANTEC ANTIVIRUS SOFTWARE (SYMANTEC 12.1 VERSION-124 LICENSES) FOR ONE YEAR---REFLOAT

Sealed tenders are invited on <u>single bid</u> basis for renewal of Symantec Antivirus Software (SEP 12.1) for one year at HOCL.

Scope of Work:

Renewal and support for Symantec Antivirus (12.1 version) – 124 licenses, for one year. The support includes backup, restore (if required) and addressing virus issues on client machines.

Procedure for the submission of quotations:

Kindly submit your quotation in a sealed cover super-scribing the following (i) Enquiry number HOC/MSS/606/2021 dated 23.09.2021 (ii) "Quotation for the <u>RENEWAL & SUPPORT FOR SYMANTEC ANTIVIRUS SOFTWARE (SYMANTEC 12.1 VERSION-124 LICENSES) FOR ONE YEAR</u>: Due on 01.10.2021"

Last date and time of submission of quotations:

Kindly submit your quotation on or before 01.10.2021, 2:00 PM to *GM (P&A)*, *Hindustan Organic Chemicals Ltd*, *Ambalamugal* – *682302*. Quotations should be complete in all respects and submitted before the due date and time.

Opening of quotation:

Quotations will be opened at 14:30 hrs on 01.10.2021.

Validity of offer:

The offer shall be valid for a period of 90 days from the date of submission for placement of order.

Period of contract:

The period of contract shall be one year.

Payment terms:

Payment shall be released after renewal of Symantec Antivirus Software (Symantec 12.1 Version-124 Licenses).

Contact person for obtaining technical clarifications:

Technical clarifications if any required by the vendor on this work may be obtained from the following person:

NASEEMA A P MANAGER SYSTEMS Mob: 9947115482

The following documents are enclosed herewith:

Annexure I: Symantec Endpoint Protection Licensing Status.

Annexure II: Schedule of Rates.

Thanking you,

Yours faithfully For Hindustan Organic Chemicals Ltd

NASEEMA A P MANAGER SYSTEMS

ANNEXUE 1

SCHEDULE OF RATES (TO BE ENCLOSED WITH THE QUOTATION)

TENDER NO: HOC/MSS/606/2021

S. No	Product description	Qty	Unit	Rate	GST%	Total Amount
1	Renewal of Symantec Antivirus Software (Symantec 12.1 Version-124 Licenses).	124	Nos.			
2	Support charge for one year	1	Nos.			

ANNEXURE 2 Symantec Endpoint Protection



Symantec Endpoint Protection Licensing Status

Report generated on: 08/31/2021 10:20:15

Description: This report contains licensing status, expiration dates and deployment status.

Solution Deployment Summary		
Total Purchased (124)		
Seats Used (55)		
Seats Available (69)		
Expired (0)		
Overdeployed (0)		

View License Details

Expiring Soon Licenses					
Serial Number	Product	Seats	Start Date	Expiration Date	Action Required
B8000237974	Symantec Endpoint Protection	124	10/13/2020	09/22/2021 🗘	Renew License

License Activation

I have my serial number(s). What do I do next?

Go to: Admin tab > License > Activate license.

Select 'I have a serial number' to activate your license(s).

I have my Symantec License file (.slf). What do I do next?

Go to: Admin tab > Licenses > Activate license.

Select 'I have a Symantec License file (.slf)' to activate your license(s).

License Details				
Product	Seats Used	Seats Available	Expired	Over Deployed
Symantec Endpoint Protection	55	69	0	0
Symantec Network Access Control	0	0	0	0

Client Type	Windows	Мас
Symantec Endpoint Protection	55	0
Symantec Network Access Control	0	0
Symantec Endpoint Protection with Symantec Network Access Control enabled	0	0
Domains		

Back to Top



ANNEXURE - A

ESI, PF, LABOUR LAW ETC. - REQUIREMENTS

1. ESI As per the ESI Act 1948

The Contractor shall enroll all his men deployed for the work in the ESI scheme. Registration for all workmen under ESI scheme is also to be complied with.

2. Safety Regulations and General Conditions of Contract

The Contractor should be strictly abide all the safety regulation of HOC specified in GCC. Contractor should obtain necessary safety work permit from authorised officer before starting the work every day, in every shift.

3. Workmen Compensation

It will be your responsibility to meet all claims for compensation under workmen's Compensation Act 1923. ESI or under any other law in respect of sickness, accidents injury or death suffered by workmen engaged by you for carrying out the work. It shall be the sole responsibility of the contractor to comply with Employee's State Insurance Act 1948. You will also be responsible and liable in respect of claims for damage to property or persons arising from or in the course of execution of the contract work undertaken by you. You hereby agree that you shall keep HOC fully indemnified in respect of claims under the Workmen Compensation Act and all other claims aforesaid and you shall not under any circumstances raise any dispute with regard to the same.

4. Personal Protective Equipments (PPE)

You are requested to use personal protective equipment such as

- 1. Safety Helmet
- 2. Safety belts
- 3. Welder's Personal Protective equipment like goggles, gloves, shoes and face shield

It is the basic responsibility of the Contractor to provide all the safety gadgets (PPE's) as mentioned above to all their Supervisors/Workers.

And without these PPE's Contractor will not be allowed to carryout any job, which may please be noted.

5. <u>Labour Laws & Provident Fund</u>

You are requested to possess:

- 1. A Licence from the Labour Dept. under Contract Labour (Regulation and Abolition) Act 1970.
- 2. A separate PF Code under the Employee PF Act 1952 and also furnish details of CPF Contribution payment made with the Regional PF Commissioner.

अनुबंध " क"

इएस आई, पीएफ श्रम कानून आदि - अपेक्षाएं

1.इएसआई अधिनियम 1948 के अनुसार इ एस आई

ठेकेदार काम के लिए तैनात अपने सभी कामगरों को इएसआई योजना के तहत नामित करेगा । इएसआइ योजना के अधीन सभी कामगारों केलिए पंजीकरण का अनुपालन किया जाना हैं॥

2. संविदा की सुरक्षा विनियम और सामान्य शर्ते

ठेकेदार संविदा के सामान्य शर्तों में निर्धारित एचओसी के सभी सुरक्षा विनियमों का संख्ती से पालन करेगा । ठेकेदार को प्रतिदिन प्रतिशिफ्ट में काम शुरू करने के पहले प्राधिकृत अधिकारी से आवश्यक सुरक्षा कार्य परमिट प्राप्त करना चाहिए ।

3. कामगार क्षतिपूर्ति

कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत क्षतिपूर्ति के लिए सभी दावों का वहन करना आपका दायित्व होगा। कार्य करने के लिए आपके द्वारा तैनात कामगार बीमारी,दुर्घटना,चोट या मृत्यु से पीडित होने में इ एस आई या अन्य किसी नियम के अधीन दायित्व आपका रहेगा। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 का अनुपालन करना ठेकेदार का पूर्ण दायित्व होगा। आपके द्वारा लिए गए संविदा कार्य के निष्पादन के दौरान होनेवाले संपत्ति या व्यक्तियों के नुक्सान हेतु दावे केलिए आप उत्तरदायी और ज़िम्मेदार रहेगा। आप एतदद्वारा सहमत है कि आप कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम और उपर्युक्त अन्य सभी दावों के तहत एच ओ सी को पूर्ण रूप से मुक्त करेंगे और आप इस संबंध में किसी भी परिस्थिति में कोई तर्क नहीं उठाएगा।

4.निजी सुरक्षा उपकरणें (पी पी इ)

आप से अनुरोध है कि निम्नलिखित निजी सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करें

- 1.सेफ्टी हेलमेंट
- 2.सेफ्टी बेल्ट
- 3.वेलडरों की निजी सुरक्षा उपकरणें जैसे गोग्लस ,ग्लौस ,शूष्स एण्ड फेस शील्ड
- 4. गोग्लस और फेस शील्ड

यह ठेकेदार का मूल दायित्व है कि वे अपने सभी पर्यवेक्षकों/कामगारों को ऊपर कहे गए सभी सुरक्षा उपकरणें (पी पी ई) प्रदान करें।

यह भी कृपया नोट करें कि इन सुरक्षा उपकरणों के बिना ठेकेदार को कोई काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.श्रम कानून एवं भविष्य निधि

आपसे अनुरोध है कि आपके साथ -

1.श्रम विभाग से संविदा श्रम (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 के तहत एक लाइसेंस। 2.कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम 1952 के अधीन एक अलग पी एफ कोड हो और क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के साथ किए गए सीपीएफ अंशदान के भुगतान संबंधी विवरण भी प्रस्तुत करें।

6. <u>Guidelines to Contractors/Suppliers for Environmental Protection</u>

- Contractors/suppliers shall ensure that impact due to the environmental aspects of goods and services is minimum.
- Effluent generated during the activity is to be routed to effluent treatment plant as per the instructions given by the Engineer-in-Charge.
- Hazardous waste generated during the activity is to be disposed in accordance with Hazardous Waste (Management & Handling) Rules as per the instructions given by the Engineer-in-Charge.
- All other solid wastes are to be disposed as per the instructions given by the Engineer-in-Charge.
- Avoid leaks and spills to minimise the impact on environment. In the case of any leaks/spills immediately inform Engineer-in-Charge to take appropriate corrective action.
- If the item handled falls under hazardous category, please ensure that:
 - a. Product literature including MSDS/TREM Card etc. accompany the consignment.
 - b. Packing and labeling are in accordance with the requirement of Manufacture, Storage & Import of Hazardous Chemicals Rules.

7. <u>B. Confined Space Entry</u>

If entry into a confined space (like inside entry to columns, heat exchanger shells, vessels, filters, spheres, bullets, boilers etc.) is a part of the work, contractor should register the name and other details in the register kept for the purpose each time. All safety regulation has to be adhered and permit to be obtained before entering into a confined space. Also after coming out from the confined space, the worker/supervisor has to report to the Engineer-in-Charge each time without fail. Any deviation in this register will not be permitted in any case.

6 पर्यावरण संरक्षण के लिए ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को दिशा - निर्देश :

- *.ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता यह सुनिश्चित करें कि सामग्रियों और सेवाओं की वजह से पर्यावरण पहलुओं पर प्रभाव न्यूनतम हो |
- * इस गतिविधि के दौरान सृजित एफ्लुवेन्ट को इंजीनियर प्रभावी द्वारा दिए गए अनुदेशों के अनुसार एफ्लुवेन्ट ट्रीटमेंट प्लांट से छोड दें।
- * इस गतिविधि के दौरान सृजित जोखिम अवशिष्ट निपटान को प्रभारी इंजीनियर द्वारा दिए गए अनुदेशों के अनुसार जोखिम अवशिष्ट (प्रबंधन एवं उपयोग) नियमानुसार करना है।
- *अन्य सभी ठोस अवशिष्टों को प्रभारी इंजीनियर द्वारा दिए गएअनुदेशों के अनुसार निपटाना है ।
- * पर्यावरण पर प्रभाव कम करने के लिए लीक एवं स्पिल से बचे | यदि कोई लीक / स्पिल हो तो स्धार कार्य करने के लिए प्रभारी इंजीनियर को तत्काल सूचित करें |
- * यदि उपयोगित मद जोखिम वर्ग में आता है तो यह सुनिश्चित करें कि :-क) एम एस डी एस / ट्रेम कार्ड आदि सहित उत्पाद संबंधी विवरण सामग्री के साथ होना चाहिए | ख़) जोखिम रसायन नियमावली के निर्माण, भंडार एवं निर्यात की अपेक्षा के अनुसार पैकिंग और लेबलिंग होना चाहिए |

7.सीमित क्षेत्र प्रवेश

यदि काम के संबंध में सीमित क्षेत्र (जैसे कॉलम्स,हीट एक्सचेइनचर शेलस,वेसलस,फिल्टर्स,स्पीर्यस, बुलेटस,बोइलर आदि) में प्रवेश करना है तो ठेकेदार को इस उद्देश्य के लिए रखे गए रजिस्टर पर नाम और अन्य विवरण प्रत्येक समय दर्ज करना चाहिए |सीमित क्षेत्र में प्रवेश करने के पहले सभी सुरक्षा विनिमयों का पालन करना है और परिमट प्राप्त करना है | सीमित क्षेत्र से बाहर आते समय कामगार/ पर्यवेक्षक को प्रत्येक समय प्रभारी इंजिनीयर को अवश्य रिपोर्ट करना है | किसी भी मामले में इस रजिस्टर से किसी प्रकार की विचलन की अनुमित नहीं दी जाएगी |

ANNEXURE - B

LABOUR LAWS - CHECK LIST

1. Contract Labour (Regulation & Abolition) Act - 1970

Contractor should possess Labor License if he engages more than 19 workers at a time for a particular job.

2. ESI Act 1948

A worker whose wages (excluding Overtime Wage) does not exceed `15,000/- per month will be covered under the Act. Please note that workers can be allowed to work inside the Factory Premises / Township only after completing the following procedures:

- a. Those labourers already registered under ESI should submit their ESI card along with a copy.
- b. For new cases, the following documents are to be produced for registering under the Act:
 - 1. Registration form duly filled in by the worker concerned.
 - Proof of identity Address and Age (SSLC / Birth Certificate / Driving License / Passport, etc.)
 - 3. Family photograph 2 Nos.
- c. For those workers whose wages is claimed to be more than `15,000/- per month should produce the following documents:
 - 1. An undertaking from his employer that his wage is more than `15,000/- per month and he is not required to be covered under ESI Act is to be submitted.
 - 2. A copy of the Personal Accident Policy showing that the worker is covered under the policy.

3. The EPF & MP Act - 1952

- a. The concerned worker has to file nomination form
- b. If already covered under the Act and Scheme, the related document to be submitted.

4. <u>Interstate Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service)</u> <u>Act 1979</u>

The contractor should possess License under this Act, if he engages 05 or more interstate migrant workmen on any day.

अन्बंध - 'ख '

विषय: श्रम कानून - जॉच सूची

1.संविदा श्रम (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम -1970

प्रत्येक काम के लिए एक ही समय 19 से अधिक मज़दूरों को लगाते समय ठेकेदार को श्रम लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए |

2.कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948

कामगार जिनका वेतन(समयोपिर भत्ता छोडकर) प्रतिमाह 15000/-से अधिक न हो, इस अधिनियम के तहत आता है | कृपया ध्यान दें कि निम्नलिखित कार्यकलाप पूरा करने के बाद हैं। फैक्टरी परिसर/टाऊनिशप में कामगरों को काम करने की अनुमित दिया जाएगा |

- क) इ एस आई के अधीन पहले ही पंजीकृत मज़दूरों को इ एस आई कार्ड और उसकी एक प्रति प्रस्तुत करना चाहिए।
- ख) नए मामले में, इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत करने केलिए निम्नलिखित दस्तावेजें प्रस्तुत करना चाहिए |
- 1.संबंधित कामगार द्वारा यथाविधि भरे हुए पंजीकृत प्रपत्र |
- 2.पहचान के लिए प्रमाण -पता एवं आयु (एस एस एल सी,जन्म प्रमाण पत्र ,ड्राइविंग लाइसेंस,पासपोर्ट आदि |
- 3.परिवार के दो फोटो -
- ग) ऐसे कामगार जिनका वेतन प्रतिमाह 15000/ से अधिक दावा दे रहे हैं, निम्नलिखित दस्तावेज़ें प्रस्तुत करनी चाहिए |
- 1.उनके नियोक्ता से यह वचनबंध प्रस्तुत करना है कि प्रतिमाह उनका वेतन रू.15000/ से अधिक है और उन्हें इ एस आई अधिनयम के तहत शामिल करने की आवश्यकता नहीं है |
- 2. निजी दुर्घटना पॉलसी की एक प्रति इसमें यह दर्शाता हैं कि कामगार इस पॉलिसी कि सुरक्षा हैं।

3. इ पी एफ और एम पी अधिनियम 1952

- क) संबंधित कामगर को नामांकन प्रपत्र फाईल करना है ।
- ख).यदि प्रस्तुत अधिनियम और योजना के तहत पहले ही नामित हो,तो सबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें ।

4.अन्तर राज्य प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा शर्तों के विनियम) अधिनियम 1979

यदि ठेकेदार किसी भी दिन 05 या उससे अधिक अन्तर राज्य प्रवासी कामगार को काम के लिए लगाते हो तब उन्हें प्रस्तुत अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए |

ANNEXURE - C

SAFETY, HEALTH & ENVIRONMENT (SHE) CONDITIONS

The following Safety, Health and Environment conditions shall apply to the Contractor those who are working at HOCL, Ambalamugal.

- Shall ensure the availability and suitability of qualified and experienced personnel at the site for effective and efficient SHE management.
- Shall ensure that the equipment, materials, consumables are in conformity with the requirements.
- Shall ensure that all equipments/scaffolding used are having adequate stability.
- Shall ensure that appropriate and adequate PPEs are provided and worn by the personnel involved.
- Shall ensure that safety signs are posted as appropriate to the activity/hazard as required.
- Shall ensure the removal of material from site, which do not conform to the requirements.
- Shall ensure no adverse impact on environment due to activities.
- Shall maintain proper close supervision over their employee's activities.
- Shall identify the hazards related to their nature of work being executed and develop methods to eliminate/control those hazards where required to prevent any unwanted incidents/accident.
- Shall educate/train the workers throughout the work and improve their SHE awareness.
- Shall ensure adequate hygiene, (i.e. cleanliness, environment free from dust and fume, proper lighting and drinking water to all worker employed by the contractor).
- Shall ensure regular controls are in place for the following by doing regular checks/inspections but not limited to the following:
 - Vehicles & equipments
 - Tools, equipments, lifting appliances
 - Safety equipments
 - Fire protection
- Shall at his own expenses from time to time and whenever required clear away and remove all rubbish/scrap/unwanted materials from its work area to designated area.
- Shall report all incidents/accidents occurring if any connected with the job. The Contractor shall prepare and submit an incident/accident report to OWNER's Safety Department.

सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण (एस एच ई) की शर्तें

एच ओ सी एल, अंबलमुगल में काम करने वाले ठेकेदारों के लिए निम्नलिखित सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण शर्तें लागू होंगे ।

- 1. सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के प्रभावी एवं दक्ष प्रबंधन के लिए कार्यस्थल में योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों की उपलब्धता एवं उपयुक्तता सुनिश्चित करेंगे ।
- 2. आवश्यकताओं के अन्रूप उपकरण, सामग्री और उपभोज्य स्निश्चित करेंगे।
- 3. उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरण / पाड़ की सामग्रियों को पर्याप्त मजबूती / टिकाऊपन स्निश्चित करेंगे।
- 4. यह सुनिश्चित करेंगे कि उचित एवं पर्याप्त पी पी ई प्रदान किए जाएंगे और संबंधित व्यक्तियों द्वारा पहने जाएंगे।
- 5. आवश्यकतानुसार कार्यकलाप/ जोखिम के उपयुक्त सुरक्षा चिह्नों को लगाना सुनिश्चित करेंगे।
- 6. कार्यस्थल से ऐसे सामग्री जो आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो,को हटाया जाना सुनिश्चित करेंगे ।
- 7. यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यकलाप के कारण पर्यावरण में कोई प्रतिकूल प्रभाव न हो।
- 8. अपने कर्मचारियों की गतिविधियों पर उचित एवं सूक्ष्म पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेंगे।
- 9. कार्यान्वित किए जा रहे कार्य की प्रकृति संबंधी दुर्घटनाओं का पहचान करेंगे और जहां अपेक्षित हो किसी प्रकार की घटनाओं / दुर्घटनाओं को रोकने केलिए ऐसी दुर्घटनाओं को दूर करने / नियंत्रित करने के उपाय विकसित करेंगे।
- 10. कर्मचारियों को कार्य के दौरान पर शिक्षित / प्रशिक्षित करना सुनिश्चित करेंगे और उनके एस एच ई जागरूकता में सुधार लाना भी सुनिश्चित करेंगे।
- 11. पर्याप्त स्वास्थ्य की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे (यानि सफाई, धूल एवं धूआं मुक्त पर्यावरण, उचित प्रकाश की व्यवस्था और ठेकेदार द्वारा काम केलिए नियुक्त सभी कर्मचारियों को पेय जल)
- 12. नियमित जांच / निरीक्षण करके निम्नलिखित केलिए नियमित नियंत्रण सुनिश्चित करेंगे लेकिन केवल निम्नलिखित केलिए सीमित नहीं करेंगे।
 - * वाहनें एवं उपकरणें
 - * टूल्स, उपकरण,लिफ्टिंग उपकरणें
 - * स्रक्षा उपकरणें
 - * आग संरक्षण
- 13. समय समय पर और जब कभी आवश्यक हो, अपने व्यय पर कार्य स्थल से निर्दिष्ट क्षेत्र की ओर सभी कूडे/ रद्दी/अन्पयोगी सामग्रियाँ निकाल देंगे और हटा देंगे।
- 14. प्रदत्त कार्य के संबंध में घटित होनेवाली सभी घटनाओं / दुर्घटनाओं यदि कोई हो तो, रिपोर्ट करेंगे । ठेकदार घटना / दुर्घटना रिपोर्ट तैयार करके मालिक (औंनेर्स) सेफ्टी विभाग में प्रस्तुत करेंगे। ।

ANNEXCURE -D

PROFORMA OF DECLARATION OF BLACK LISTING / HOLIDAY LISTING

In the case of a Proprietary Concern:

I hereby declare that neither I in my personal na concern M/s.	me or in the name of my Proprietary which is			
submitting neither the accompanying Bid/Tender nor any other concern in which am proprietor nor any partnership firm in which I am involved as a Managing Partner have been placed on black list or holiday list declared by any Government Public sector company (CPSU) or any of the administrative ministries, except as indicated below:				
(Here give particulars of blacklisting or holiday lis "NIL")	sting, and in absence there of state			
In the case of a Partnership Firm:				
We hereby declare that neither we, M/s the accompanying Bid/ Tender nor any partner invol either in his individual capacity or as proprietor or m have or has been placed on blacklist or holiday list decompany (CPSU) or any of the administrative ministr	ved in the management of the said firm anaging partner of any firm or concern eclared by any Government Public sector			
(Here give particulars of blacklisting or holiday listing	gand in the absence thereof state "NIL")			
In the case of Company: We hereby declare that we have not been placed on any Government Public sector company (CPSU) or an except as indicated below:				
(Here give particulars of black listing or holiday listin "NIL")	g and in the absence thereof state			
It is understood that if this declaration is found to be Organic Chemicals Limited or its Administrative Mini our bid, and if the bid has resulted in a contract, the	stry, shall have the right to reject my /			
Place :	Signature of Bidder:			
Date :				

<u>अनुबंध डी</u> काली सूची/अवकाश सूची की घोषणा संबंधी पत्र

स्वामित्व प्रतिष्ठान के संबंध में :-

मैं एतद्वारा घोषणा करता/ करती हूँ कि न तो मैं अपने नाम पर या मेरे स्वामित्व प्रतिष्ठान सर्वश्री के नाम पर जिसने संलग्न बोली /निविदा प्रस्तुत न कर रहे है या मेरे स्वामित्व में या किसी अन्य साझेदार कंपनी जिसमें मैं प्रबंध भागीदार के रूप में हो, वे नीचे सूचित को छोड़कर किसी केंद्रीय सरकारी सार्वजनिक कंपनी (सीपीएसयू) या किसी प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा घोषित काली सूची या अवकाश सूची में न पडे है | (यहाँ काली सूची या अवकाश सूची का विवरण दें , और उसके अभाव में शून्य सूचित करें)

साझेदार कंपनी के संबंध में

हम एतद्वारा घोषित करते /करती हैं कि न तो हम, सर्वश्री ने प्रस्तुत बोली/निविदा प्रस्तुत करता है या कंपनी से शामिल किसी भागीदार न उनके वैयक्तिक क्षमता या स्वामित्व के रूप में या किसी कंपनी/ कारोबार के प्रबंधन भागीदार के रूप में नीचे सूचित को छोडकर किसी केंद्रीय सरकारी सार्वजनिक कंपनी (सीपीएसयू) या किसी प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा घोषित काली सूची या अवकाश सूची में न पडे है | (यहाँ काली सूची या अवकाश सूची का विवरण दें , और उसके अभाव में शून्य सूचित करें)

कंपनी के संबंध में

हम एतद्वारा घोषित करते/ करती हैं कि हमें नीचे सूचित को छोडकर किसी केंद्रीय सरकारी सार्वजनिक कंपनी (सीपीएसयू) या किसी प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा घोषित काली सूची या अवकाश सूची में न पड़े हैं |

(यहाँ काली सूची या अवकाश सूची का विवरण दें , और उसके अभाव में शून्य सूचित करें)

यह समझता हूँ कि यदि इस घोषणा के किसी भी विवरण गलत हो जाने पर हिंदुस्तान ओर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड या इसके प्रशासनिक मंत्रालय को मेरा/हमारा बोली अस्वीकार करने का अधिकार है और यदि बोली ठेके के रूप में हो जाने पर , प्रस्तुत ठेका समाप्त करने का अधिकार है |

स्थान:	बोलीदाता का हस्ताक्षर :
तिथि:	